



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43107 वर्ष 2025

दया शंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक(कों) के अधिवक्ता:

विद्याकांत राय

विपक्षी पक्ष(कों) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री बृजेंद्र कुमार, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की तर्क सुने और अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद संख्या 213/2020, धारा 3/7 के तहत, पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जिला कानपुर में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

यह याचिका आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 6 जुलाई 2020 से कारावास में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त गोपाल सैनी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 12 दिसंबर 2025 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 40212/2025 में जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्होंने बताया कि आवेदक के नाम पर छह अन्य मामलों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसका विवरण जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपित-आवेदक दया शंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के स्वीय बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।